51

# न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी III/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/2948

भवंरलाल पुत्र छोटया खटीक मृतक

वारिसान

1. कैलाश
2. मोहनलाल
3. शंकर
4. मुकेश
5. रिन्कू

पुत्रगण स्व. भवंरलाल खटीक

6. गुडडी पुत्री स्व. भवंरलाल खटीक

निवासीगण ग्राग फतेहपुर(सौठवा) तहसील व जिला श्योंपुर म.प्र.

---- आवेदकगण

*विरूद्ध*

1. भैरूलाल पुत्र भागीरथ जाति खटीक निवासी ननावद तहसील व जिला श्योपुर म0प्र0
2. रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल निवासी ग्राम जलालपुरा तहसील व जिला श्योपुर म0प्र0
3. म0 प्र0 शासन

---- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्र.क. 96/स्व. निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

...द्वारा आज दि. 30.08.17 को प्रस्तुत

30-8-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

शाखा प्रभारी (रा.मं.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

**प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :–**

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम फतेहपुर कृषक ग्राम पहाड़ल्या की भूमि सर्वे क. 93 रकवा 0.70 हें., सर्वे क. 106 रकवा 0.86 हें. कुलकिता 2 कुल रकवा 1.56 हें. मौखिक विकय अनुबन्ध पत्र दिनांक 15.06.1987 के आधार पर आवेदकगण द्वारा नायव तहसीलदार न्यायालय मानपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र नामान्तरण हेतु प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण कमांक 04/1999–00/अ–46 पर दर्ज किया जाकर विधिवत् नामान्तरण नियमों का पालन करते हुये। मौखिक विकय अनुबन्ध पत्र दिनांक 15.06.1987 के आधार पर भूमिस्वामी अनावेदकगण क. 1 व 2 के स्थान पर आवेदकगण का नामान्तरण आदेश दिनांक 20.09.2000 से स्वीकार किया है। उक्त प्रकरण को बिना किसी शिकायत के अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण को स्व.प्रेरणा मे लिया जाकर आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र विधिवत जारी किये बिना अपर कलेक्टर श्योंपुर द्वारा उक्त प्रकरण को आदेश दिनांक 21.08.2017 से बिना किसी अधिकार के तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09. 2000 निरस्त किया गया। उक्त आदेश से दुखित हो कर मान. न्यायालय के समक्ष निगरानी निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

**प्रकरण के आधार :–**

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, प्रश्नाधीन भूमि को आवेदकगण द्वारा मौखिक विकय अनुबन्ध पत्र से कय किया है। उक्त मौखिक विकय अनुबन्ध पत्र दिनाक 15.06.1987 के आधार पर आवेदकगण का राजस्व अभिलेख में नामान्तरण हो कर भूमि स्वामी के रूप में नाम

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/निगरानी/श्योपुर/भूरा/2017/2948

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 8 – 9–17 | आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 96/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 21.8.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2–आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार मानपुर का आदेश संहिता के प्रावधानों के विपरीत होने से अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा निरस्त किया गया है। अभिलिखत भूमिस्वामी गैर निगरानीकर्ता कमांक 2 एवं गैर निगरानीकर्ता कमांक 3 के द्वारा अपनी भूमि की कोई मांग नहीं की गई है जो भूमिस्वामी के खाते के त्यजन की श्रेणी में आता है। अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा नायब तहसीलदार मानुपर के राजस्व प्रकरण कमांक 04/99–2000 अ–46 में पारित आदेश दिनांक 20.9.2000 को निरस्त करने में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः निगरानी अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 96/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 21.8.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।<br>सदस्य | |